संख्या- 19 /70/30-3-14-10बी/2013टी0सी0

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 20 फरवरी, 2014**

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-08नजारत/2014-17नजारत/2013, दिनॉक 07-01-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-2011/30-3-2013-10बी/2013, दिनॉक 13-09-2013 के क्रम में मानकीकृत लागत तथा नक्शों के अनुरूप सम्भागीय परिवहन कार्यालय-गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा व अलीगढ के पूर्व निर्मित कार्यालय भवन में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु एक हाल के निर्माण के लिये कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित अलग-अलग आगणन में प्रस्तावित लागत का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय भवनों की कुल ऑकलित लागत रू0 1106.34 लाख के आधार पर निम्नांकित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 1106.34 लाख (रू0 ग्यारह करोड. छः लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 553.17 लाख (रू0 पॉच करोड. तिरपन लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन, जहॉ सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये पृथक से हाल का निर्माण किया जाना है।	व्यय-वित्त समिति द्वारा स्वीकृत/ मानकीकृत लागत (प्रति सम्भागीय परिवहन कार्यालय)	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत	स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्य हेतु मूल्यांकित लागत के सापेक्ष कुल धनराशि, जिसकी प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गाजियाबाद	153.42	153.42	153.42	76.71
2	कानपुर	153.42	154.19	154.19	77.095
3	लखनऊ	153.42	153.42	153.42	76.71
4	वाराणसी	153.42	163.99	163.99	81.995
5	इलाहाबाद	153.42	164.28	164.28	82.14
6	आगरा	153.42	159.45	159.45	79.725
7	अलीगढ	153.42	157.59	157.59	78.795
	योग		1106.34	1106.34	553.17

2- आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

4- परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

6- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

7- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8- पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण एवं लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

9- द्वितीय किस्त/अन्तिम किस्त की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी।

10- उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-80/दस-2014, दिनॉक 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

संख्या-19/70(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा व अलीगढ़ द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- नियोजन अनुभाग-4

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in